

कार्यालय अंचल अधिकारी, बेंगलूर

आदेश फलक

निम्नवर्णित व्यक्ति का आवेदन पत्र दाखिल खारिज हेतु प्राप्त है।

जिसे अवलोकन किया।

नाम रैयत/पता ग्राम/थाना नं० खाता प्लॉट रकबा लगान

- | | | | | | |
|--------------|--------|----|------|------|------|
| 1. अहमद खान | कालोका | 09 | -118 | 0016 | 1158 |
| 2. हुसैन खान | 14 | | | | |
| 3. सलूल खान | | | | | |
| 4. अली खान | | | | | |
| 5. अली खान | | | | | |
| 6. अली खान | | | | | |
| 7. अली खान | | | | | |

25/11/16

अंचल अधिकारी

आम इशतेहार नोटिस जारी करें। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन प्राप्त करें। किसी को आपत्ति हो तो दिनांक 10/12/16

को आपत्ति जयपुराधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर यथा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी।

25/11/16

अंचल अधिकारी
बेंगलूर

10/12/16

अभिलेख उपस्थापित ।

आम व खास इशतेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई ।

स० कर्म० एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है । उनके प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते का है तथा केता का क्रम की गई भूमि पर दखलकार है । अतएव दा० खा० को स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया है ।

अतः राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि केता के नाम दा० खा०

इकाफत

किया जाता है ।

कार्यवाहक सहायक तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें राजस्व कर्मचारी जमाबन्दी कायम कर अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष में दें ।

केता का नाम/पता मौजा खाता नं० खेसरा नं० रकबा लगान

1. मल्लिकार्जुन साहू - खालोका 09-118-0-16-1-15
2. सुलोकान मिश्र
3. मल्लिकार्जुन मिश्र
4. रामचंद्र मिश्र
5. 1/0-232-2-2 मिश्र
6. कर्मी मिश्र
7. 1/0-4-2-2 मिश्र
8. 1/15-2-2-2 खालोका


अंचल अधिकारी
बेंगाबाद ।